Closure of level crossings due to elevation of Railway Tracks

2606. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether all the metre gauge railway lines in the Central and Western Railway Divisions have been converted into broad gauge railway lines;

(b) whether broad gauge tracks are elevated to 4-5 feet above the height of metre gauge track; and

(c) whether all railway crossings which were working regularly have now been closed due to elevation of railway track?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) to (c) No, Sir

पदोन्नतियों में आरक्षण

2607. **प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को दोहराया है, कि पदोन्नतियोंमें आरक्षण उचित नहीं हैं, और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ तथा अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान के मामले में, जिसका संबंध मुख्यतः सामान्य उम्मीदवार बनाम आरक्षण कोटे के अतंर्गत पदोन्नत रेलवे गार्डो की वरिष्ठता नियत करने के मुद्दे से हैं, अपना मत पुनः दोहराया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के अंत में यह टिप्पणी की कि वह इंदिरा साहनी के मामले में समर्थित किए गए सिद्धान्तों को दोहराने के लिए स्वयं को विवश महसूस करता है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध करवाना औचित्यपूर्ण प्रमाणित नहीं होता है।

(ख) रेलवे बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की है।

मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा संबंधी सर्वेक्षण

2608. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की क्षमता का आकलन करने के लिए कोई राज्य स्तरीय सर्वेक्षण करवाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामों तथा इस संबंध में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है,

(ग) क्या सरकार राज्य में गैरसरकारी क्षेत्र के अंतर्गत पवन चक्कियां स्थापित करने का विचार रखती हैं,

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में मूलतः पांच पवन मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई थी। इनमें से जममोदरानी और खेड़ा में पवन विद्युत उत्पाइन के लिए पहले ही संभावना का पता लगा लिया गया है। राज्य में दस अन्य स्टेशनों की स्थापना के कार्य को हाथ में लिया गया है।

(ग) से (ड़) राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा पवन विद्युत उत्पादन के लिए एक आकर्षक नीति की घोषणा की है। राज्य में पवन ऊर्जा परिसम्पत्तियों (इस्टेट्) के विकास के लिए एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी भी स्थापित की गई है। 2.7 मेवा. निजी क्षेत्र क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई है। इसके अलावा उपयुक्त स्थलों की पहचान किए जाने और निजी क्षेत्र परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिए जाने पर आगे और क्षमता संयोजन निर्भर करेगा।

भारत-अमरीका समझौता

2609. **श्री अनन्तराश देवशंकर दवे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और अमरीका ने देश में ऊर्जा के प्रगामी विकास हेतु कोई समझौता किया है,

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है,

(ग) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) किन-किन कंपनियों के साथ ऐसे समझौते किए गए हैं और किस प्रकार से सहायता दी गई है?